B.com. II – Paper- IV – विशिष्टीकृत लेखांकन { द्वारा, सुधीर कु० सुमन, आर.एन. कॉलेज (हाजीपुर)

Q.No.→ एकीकरण से आप क्या समझते हैं? एकीकरण के प्रकारों का वर्णन करें ?

उत्तर

एकीकरण का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण से है या कम्पनियों पर लागू होने वाले अन्य किसी नियमों के अन्तर्गत होने वाले एकीकरण से है। अर्थात् जब दो या दो से अधिक कम्पनियाँ आपस में मिलने का निश्चय करती हैं तब इसे एकीकरण कहा जाता है।

दूसरे शब्दों में, "एक ही प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न दो या दो से अधिक कम्पनियाँ एक या अनेक वैध कारणों से अपने उपक्रमों का संयोजन या विलय कर सकती हैं। इस प्रकार का संयोजन या विलय का प्रारूप एकीकरण या संविलयन का हो सकता है। इंग्लैण्ड के हाल्सबरीज कानून के अनुसार, "दो से अधिक विद्यमान कम्पनियों का एक उपक्रम में सम्मिश्रण ही एकीकरण होता है, प्रत्येक सम्मिश्रित कम्पनी का अंशधारी उस कम्पनी का अंशधारी बन जाता है, जो सम्मिश्रित कम्पनियों को चलाती है, एकीकरण या तो दो या दो से अधिक उपक्रमों का नई कम्पनी को हस्तान्तरण द्वारा हो सकता है या एक या अधिक उपक्रमों का एक विद्यमान कम्पनी को हस्तान्तरण द्वारा हो सकता है।" एकीकरण की यह एक बहुत ही व्यापक एवं स्पष्ट विवरण व व्याख्या है। एकीकरण शब्द का प्रयोग तभी करना चाहिए, जब दो शर्तें पूरी हो जाएँ:-

(i) कम-से-कम दो कम्पनियां विघटन में आती हों।

(ii) विघटन में आने वाली कम्पनियों के व्यवसाय को लेने हेतु एक नई कम्पनी का निर्धारण हो रहा हो।

* एकीकरण के प्रकार :—

(a) विलय के स्वभाव का एकीकरण

(b) क्रय के स्वभाव का एकीकरण

(P.T.O)

Scanned with CamScanner

(a) **विलय के स्वभाव का एकीकरण** → विलय के स्वभाव को एकीकरण किसी भी कम्पनी के पाँच शर्तों के पूरा होने पर ही माना जाएगा, ये पाँच शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) एकीकरण के बाद हस्तान्तरक कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ एवं दायित्व हस्तान्तरी कम्पनी के हो जायेंगे।

(ii) हस्तान्तरी कम्पनी एवं उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा एकीकरण के पूर्व तक ग्रहण किये गये हस्तान्तरक कम्पनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी हस्तान्तरी कम्पनी के साधारण अंशधारी एकीकरण के बाद बन जायेंगे।

(iii) हस्तान्तरक कम्पनी के वे सभी साधारण अंशधारी जो हस्तान्तरी कम्पनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, उन्हें हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के प्रतिफल का पूर्णतः भुगतान किया जायेगा।

(iv) हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तान्तरक कम्पनी के व्यवसाय को चालू रखा जाएगा।

(v) हस्तान्तरी कम्पनी के विभिन्न खातों में हस्तान्तरक कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित किया जायेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तान्तरक कम्पनी एवं हस्तान्तरी कम्पनी दोनों का अस्तित्व बना रहता है। इसके अतिरिक्त दोनों कम्पनियों के अंशधारियों का स्वामित्व भी बहुत हद तक बना रहता है।

(b) **क्रय के स्वभाव का एकीकरण** → विलय के स्वभाव के एकीकरण में जिन पाँच शर्तों का उल्लेख किया गया है, जब उनमें से कोई एक या अधिक शर्तों की पूर्ति नहीं हो पाती तब ऐसे एकीकरण को क्रय के स्वभाव का एकीकरण माना जाता है। इस प्रकार के एकीकरण में किसी एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को पूर्ण रूप से क्रय कर लिया जाता है तथा आपसी समझौते के अनुसार अपना

Scanned with CamScanner

किसी उचित तरीके से निर्धारित किये गये प्रतिफल का भुगतान अंशों में या ऋणपत्रों में या नकदी में या इनमें से किसी एक या सभी रूप में किया जाता है।

इस दशा में हस्तान्तरक कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा ले लिया जाता है जिसके फलस्वरूप हस्तान्तरक कम्पनी का व्यवसाय बंद हो जाता है और हस्तान्तरक कम्पनी के अंशधारी हस्तान्तरी कंपनी की पूँजी में कोई हित नहीं रखते हैं। उदाहरण – अ लि० ने ब लि० के व्यवसाय का अधिग्रहण किया, लेकिन ब लि० के व्यवसाय को चालू रखने की इच्छा नहीं है तो यह क्रय का एकीकरण है, न कि विलय का अथवा जब ब लि० के अंशधारी अ लि० के अंशधारी नहीं हो पाते हैं तो यह क्रय के स्वभाव का एकीकरण होता है। पुनः यदि ली गई सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरी कम्पनी की पुस्तकों में संशोधित मूल्य पर अभिलेखन होता है, यह भी क्रय के स्वभाव का एकीकरण होता है।

— o —

Scanned with CamScanner